माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म० प्र०,

=== 1084/निगरानी

निग० 837-III/04

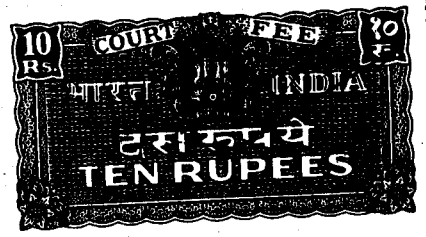

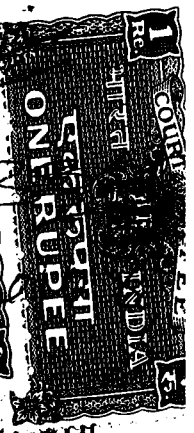

बब्बू देवी ब्रा० पत्नी श्री लालनराम ब्रा० उम्र 55 वर्ष पेशा घरू काम निवासी ग्राम गोरसरी तहसील मझगवां जिला सतना म० प्र०- निगराकार

बनाम

===============

लालजी प्रसाद ब्रा० आ० श्री अवध प्रसाद त्रिपाठी उम्र 52 वर्ष निवासी घुरडांग तहसील रघुराज नगर जिला सतना म० प्र० -- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० कानून माल,

===

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 24.5.04 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, कमिश्नर रीवां संम्भाग रीवां म० प्र०, प्रकरण क्र० 103/निगरानी /99-2000,

===

श्री एस. के. अवस्थी - एडवोकेट द्वारा आज दि. 9/7/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
9 JUL 2004

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

§1§ यह कि निगराकार ने नायब तहसीलदार वृत जैतवारा के न्यायालय में आराजी खसरा नं. 327 रकवां 0.20 डि०, वाका मौजा गोरसरी में स्थितमाकान एवं आराजियात पूर्व की तहसील रघुराज नगर वर्तमान तहसील मझगवां जिला सतना म० प्र० के नामान्तरण का आवेदन पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत किया था, कि निगराकार के पिता संकर प्रसाद ब्रा० थें, उन्होंने समक्ष गवाहान दिनांक 9.1.68 को वसीयतनामा निगराकार के हक में लिखाकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 837–तीन/04 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–17	आवेदिका के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 103/निग0/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की है । 2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार वृत जैतवारा के न्यायालय में गोरसरी में स्थित आराजी खसरा नं0 327 रकवा 0.20 डि0 का नामांतरण किये जाने का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार वृत जैतवारा के न्यायालय में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/92–93 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23.07.94 द्वारा नामांतरण का आवेदन स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 107/अपील/94–95 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30.09.95 द्वारा नायब तहसीलदार वृत जैतवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.94 को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 30.09.95 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा दिनांक 02.01.97 को अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश	

किया, जो प्रकरण क्रमांक 47/बी–121/97–98 में पारित आदेश दिनांक 30.06.98 द्वारा अनावेदक का आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका ने निगरानी अपर कलेक्टर, सतना के समक्ष पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 27/निग0/98–99 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 14.02.1999 द्वारा निगरानी स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.95 निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पेश की गई । न्यायालय आयुक्त रीवा द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक 103/निग0/1999–00 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 24.05.2004 को अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई। आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि व वाक्यातन गलत है। जब अनावेदक ने तहसील न्यायालय में अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि शंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में आवेदिका एवं उसके पति को ग्राम डेहुट से ग्राम गोरसरी बुला लिया था, तब से वह रह रही है, और माकान का वसीयत शंकर प्रसाद ने आवेदिका के नाम लिखाया था तथा तेरही एवं बरषी करना भी स्वीकार किया है, इस प्रकार भारतीय साक्ष्य विधान अधिनियम की धारा 18 एवं 31 के अनुसार तथा 1990 राजस्व निर्णय पेज नं0 223 एवं ए0आई0आर0 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 100 अनावेदक की स्पष्ट स्वीकृति के अनुसार अनावेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किया जाना चाहिये था और अपर कलेक्टर तथा नायब तहसीलदार वृत जैतवारा के

आदेश को कायम रखा जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को न समझकर जो आदेश पारित किया है वह कतई कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदिका अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अपर कलेक्टर, सतना के समक्ष निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 47/बी–121/97–98 में पारित आदेश दिनांक 30.06.98 के विरूद्ध किया जाना पाया गया । दिनांक 30.06.98 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह लेख किया है कि चूँकि प्रकरण आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये उनके समक्ष प्रस्तुत बिन्दु आयुक्त न्यायालय में ही उठाया जाये। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.95 के संबंध में विवेचना की है तथा 30.09.95 के आदेश को ही निरस्त किया है। जबकि उनके समक्ष निगरानी आदेश दिनांक 30.06.98 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.98 के संबंध में कोई विवेचना नहीं की है। जबकि अपर कलेक्टर, सतना को चाहिये था कि जिस आदेश के विरूद्ध उनके समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, वे उसी के संबंध में अपना निर्णय पारित करते, किन्तु उनके द्वारा इस आदेश के विरूद्ध कोई निर्णय पारित न करते हुये एक अन्य निर्णय दिनांक 30.09.95 के विरूद्ध अपनी विवेचना

दी है, चूँकि उक्त निर्णय को अनावेदक ने चुनौती ही नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश सम्पूर्ण रूप से अवैधानिक है। इसी आधार पर आयुक्त रीवा ने अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.1999 को निरस्त किया है। आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया है वह उचित एवं न्यायसंगत है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2004 यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य